2017/0095

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
## पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2017 (अपील)

उनवान

सीताराम पुत्र अमरलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री हेमन्द्र सिंह (अभिभाषक अपीलाण्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**
**बनाराजगी निर्णय दिनांक 13.12.2016 गिसल नम्बर 112/2016**
**न्यायालय नायब तहसीलदार पीपल्दा , जिला कोटा**

**निर्णय दिनांक : 04.10.2019**

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की अनुपस्थिति मे निर्णय जैर अपील प्रदार कर अपीलांट को ग्राम विनायका की आराजी खसरा नं0 21 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 144/–रूपये शास्ती (तावान) से तथा 90 दिन यानि 3 माह की सजा से दण्डित करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपनी जवाबदेही करने का साक्ष्य पेश करने का, पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय जैर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिा दिये बिना ही निर्णय प्रदान किया है, पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था, जिसमे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे, इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है । अधिनरथ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि से पूर्व मे बेदखल करने बाबत पूर्व निर्णय एवं घटना वही की नकले पेश नही की गई है, इस आधार पर निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा जवाब देही करने एवं

शहादत का मौका दिये बिना महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर एक पक्षीय रूप से निर्णय जैर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है ना ही पूर्व मे उसे बेदखल किया गया है । विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा भी नही है तथा भविष्य मे विवादित भूमि पर कब्जा भी नही करेगा, तथा तावान भी जमा करवा दिया है । अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि निर्णय जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है । अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.03.2017 को पुलिस द्वारा वारंट लेकर आने पर तथा उसके द्वारा बताने पर हुई उक्त प्रकार की जानकारी होते ही मालूमात कर दिनांक 20.03.2017 को नकल प्राप्त कर रूपयों का इन्तजाम कर यह अपील पेश है जो कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 18.03.2017 से नकल प्राप्त करने के दिवस मुजरा करने की अवधि मध्य पेश है । न्यायहित मे अपील करने मे हुई डिले को कन्डोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलांटा की सजा माफ की जावे ।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा द्वारा सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि ग्राम विनायका की ख0 नं0 21 रकबा 0.48 हैक्टर पर कब्जा किया है अपीलान्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय मे संलग्न पटवारी हल्का के बयान मे जाहिर है कि अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष संवत 2071 मे भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने पर इनके विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही कर मि0 नं0 76 दिनांक 19.02.2014 के निर्णयानुसार मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था । उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन एंव पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने का तथ्य स्वीकार करने से यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न बयान से उसका विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्व होता है ।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंन्ध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( नरेन्द्र कुमार गुप्ता )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कोटा

मुद्रा